राजस्थान रोजगार गारन्टी परिषद
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 2(54)ग्रावि–3/नरेगा/09–10 जयपुर, दिनांक 20 MAY 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त (राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निधियों हेतु एक ही बैंक खाते के संचालन के कम में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत प्राप्त निधियों को किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में रखा जाना होता है, परन्तु ऐसा ध्यान में आया है कि योजनान्तर्गत प्राप्त निधियों हेतु कुछ जिलों ने एक से अधिक बैंक खाते खोले गये है, जो कि नियमों के विपरीत है। अतः इस कम में यह ध्यान में रखा जाये कि योजनान्तर्गत प्राप्त निधियों को एक ही बैंक खाते में रखा जावे। यदि किसी जिला विशेष में एक से अधिक बैंक खातों में निधियां रखी गई है तो वे तुरन्त प्रभाव से एक से अधिक खोले गये खातों को बन्द कर निधियां एक ही खाते का संचालन करावें एवं बिना राज्य सरकार की अनुमति के एक से अधिक खाते खोले जाने के कारणों से भी अवगत करावें। इस कम में संलग्न प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित किया जावे। साथ ही पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक बैंक खाते का संचालन सुनिश्चित करावें।

राज्यांश चूंकि राज्य सरकार की निर्धारित प्रकियानुसार संबंधित जिले के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किया जाता है। अतः इस कम में यह सुनिश्चित किया जावे कि पी.डी. खाते में राशि हस्तान्तरित होते ही पी.डी. खाते से राशि आहरित कर योजना के संबंधित बैंक खाते में ही जमा करवायी जावे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(श्रीनिवास मीना)
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (राजस्थान)
2. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद (राजस्थान)
3. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी